उनतीसवां प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

कोयला मंत्रालय

(28.03.2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022

सीपीबी सं. 1 खंड XXIX

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित।

विषय-सूची

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन..... (ii)

प्राक्कथन..... (iii)

प्रतिवेदन

पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खदानों की जर्जर स्थिति और अन्य सम्बंधित मुद्दों के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर सिंह के अभ्यादवेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में की-गई-सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। 1

अनुबंध

(i) कामगार मुआवजा अधिनियम, 1924 के तहत प्रपत्र – 'क', 'ख' एवं 'ग' 39

(ii) कामगार मुआवजा अधिनियम, 1924 के तहत भाग-II 'मुआवजे की जमा राशि' 41

अनुलंग्नक

याचिका समिति की 22.12.2021 को हुई 19वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (संलग्न नहीं)

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - *सभापति*

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. डॉ. सुकान्त मजूमदार
5. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
6. श्री पी. रविन्द्रनाथ
7. श्री बृजेन्द्र सिंह
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री मनोज तिवारी
10. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
11. श्री राजन विचारे
12. रिक्त
13. रिक्त
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री जी.सी.डोभाल - अपर निदेशक
4. श्री आनंद कुमार हांसदा - सहायक कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खदानों की जर्जर स्थिति और अन्य सम्बंधित मुद्दों के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर सिंह के अभ्यादवेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में की-गई-सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 22 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में 29वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई है।

नई दिल्ली;
22 दिसंबर, 2021
1 पौष, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

प्रतिवेदन

पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खदानों की जर्जर स्थिति और अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में श्री धर्मबीर सिंह के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) ने 12 फरवरी, 2021 को लोक सभा में अपना सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खदानों की जर्जर स्थिति और अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में श्री धर्मबीर सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन से संबंधित था।

2. समिति ने इस मामले में कतिपय टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं और कोयला मंत्रालय से सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया था और आगे समिति के विचारार्थ उस पर की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. उपरोक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में कोयला मंत्रालय से की गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हुए हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों और कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को आगे के पैराग्राफ में विस्तार से दिया गया है।

4. प्रतिवेदन के पैरा 21 से 23 में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अनुरूप कोयला ब्लॉकों का आवंटन

समिति कोयला मंत्रालय के दिनांक 1 अप्रैल 2019 के उत्तर से नोट करती है कि पश्चिम बंगाल में कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत सक्रिय कोयला खानों (उत्पादन करने वाली खानें) की संख्या 66 [ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल): 65 और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल):1] तथा झारखंड

में इनकी संख्या 95 [ईसीएल:14, बीसीसीएल:37 और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल): 44] है।

समिति आगे नोट करती है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में कोयला ब्लॉकों के आवंटनों को निरस्त करने के पश्चात कोयला खदानों का आवंटन कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप नीलामी या आवंटन के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में मंत्रालय एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर ई-नीलामी मोड के माध्यम से कोयला ब्लॉकों का आवंटन करता है और किसी वास्तविक या वित्तीय बोली पर विचार या स्वीकार नहीं किया जा रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि कोयला खादानों के दस खाइयों की नीलामी पूर्ण हो गई है जिसमें कुल 35 कोयला खानों को निजी और सरकारी कंपनियों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है और सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आवंटन के माध्यम से कुल 63 कोयला खानों को सरकारी कंपनियों को आवंटित किया गया है। इस संबंध में समिति आगे नोट करती है कि सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के अनुसार पश्चिम बंगाल और झारखंड में नीलामी की गई कोयला खानों की संख्या क्रमश: 4 और 10 है तथा सितंबर, 2020 तक इनसे (रायल्टी, करों और उपकर को छोड़कर) कुल सृजित राजस्व राशि 1429.69 करोड़ रुपए है।

इस तथ्य के बावजूद कि 2014 से नीलामी के माध्यम से केवल 35 कोयला खाने निजी और सरकारी कंपनियों को आवंटित की गई है, समिति इस बात की सराहना करती है कि सरकार ने कोयला खान क्षेत्र में बोली और नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई नीलामी प्रक्रिया शुरू की है और इसे प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया है। इस पृष्ठभूमि में, समिति इस बात की सराहना करती है कि 2014 के बाद कोयला ब्लॉक आवंटन में अपेक्षित स्तर की पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा विविध नए कदम उठाए गए हैं। इस प्रक्रिया में डिजिटल

प्रौद्योगिकी के उपयोग में मानव के हस्तक्षेप संबंधी कारक और कम कर दिये गए हैं जोकि कोयला मंत्रालय की ओर से स्वागत योग्य कदम है। अतः समिति चाहती है कि कोयला मंत्रालय द्वारा ई-नीलामी के संबंध में गति अनिवार्य रूप से बनाई रखी जाए और सरकारी क्षेत्र की सभी कोयला कंपनियों को उनके सभी व्यावसायिक कार्यकलापों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों को विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना चाहिए जिनमें वे पारदर्शिता को बढ़ाने तथा मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने को बढ़ावा देने के लिए ला रहे हैं।"

5. कोयला मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग सतत प्रक्रिया है और सभी कोयला कंपनियों को अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में इन प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। पारदर्शिता बनाए रखने और मानवीय व्यवधान को कम करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा रहा है। पहले से मौजूद कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

- *ईआरपी का कार्यान्वयन जिससे सीआईएल, एमसीएल और डब्ल्यूसीएल को कवर करते हुए चरण-1 शुरू हो गया है। बाकी सहायक कंपनियां इस वर्ष के चरण-II में शुरू हो जाएगी।*
- *उद्योग 4.0 प्रथाओं के अनुसार 7 बड़ी खानों के लिए डिजिटलीकरण किया गया है। इस प्रौद्योगिकी को बाद में अन्य खानों में भी दोहराया जाएगा।*
- *सूचित निर्णय लेने और उपभोक्ता संतुष्टि के लिए प्रबंधन हेतु कई पोर्टलों का निर्माण किया गया। उत्पादन सूचना प्रणाली, सुरक्षा सूचना प्रणाली, सीआईएल-सीएसआर, एचआरएमएस, कोयला उपभोक्ता समाधान पोर्टल, गुणवत्ता निगरानी पोर्टल के लिए वेब ऐप्लिकेशन कुछ प्रमुख ऐप्लिकेशनों में से हैं।*

- *"डिजिटल ग्रीन इंडिया" के एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में, एनआईसी से ई-ऑफिस समाधान को सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में कागज रहित कार्यालय का संवर्धन करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।*
- *"डीएमएस" परियोजना के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय में 80 लाख से अधिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया है।*
- *कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों में सामग्री, कार्यों और सेवाओं का प्रापण ई-प्रापण माध्यम से किया जा रहा है। सामग्री, कार्यों और सेवाओं में निविदा प्रक्रियाओं के दौरान अधिक पारदर्शिता और बेहतर लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया में रिवर्स नीलामी के प्रावधान के साथ ई-निविदा माध्यम से निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाता है।*
- *कोयले की ई-नीलामी सीआईएल के सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रचालनरत है।*
- *कोल इंडिया में कार्यपालकों का निष्पादन मूल्यांकन, सतर्कता सूचना और वार्षिक संपति विवरण को वेब सक्षम प्रणालियों के माध्यम से तैयार किया जाता है।*

6. प्रतिवेदन के पैरा 24 से 29 में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"<u>कोयला खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सांविधिक प्रावधान</u>

समिति नोट करती है कि जैसा कि खान अधिनियम, 1952, खान नियम, 1955 और कोयला खान विनियमन (सीएमआर), 2017 में विहित है, कोयला खानों में नियोजित लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विविध प्रावधान हैं। तथापि, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और

कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 में ऐसा कोई खंड या धारा नहीं है। इस संबंध में समिति यह भी नोट करती है कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी तथा निजी आवंटियों के सफल बोलीकर्ता के बीच हस्ताक्षरित कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते के अनुसार एक खंड 11.4 है जो कोयला खानों में लगे कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम वेतन से संबंधित है जिसमें सफल बोलीदाता सभी प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन, अच्छी औद्योगिक पद्धति, आधुनिक सुरक्षा उपकरण और आधुनिक सुरक्षा सावधानियों पर बल दिया गया है।

समिति नोट करती है कि खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कानून प्रवर्तन एजेंसी/नियामक प्राधिकरण अर्थात खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के निम्नलिखित दायित्व और शक्तियां हैं:-

क) खान का निरीक्षण;

ख) खान दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच

ग) कार्य अनुमति, छूट और रियायत देना;

घ) जांच करना और सक्षमता का सांविधिक प्रमाणपत्र देना;

ङ) परिपत्र जारी करना;

च) खानों में प्रयोग होने वाले कतिपय उपकरण, मशीनरी, औजार एवं सामग्री को अनुमोदन देना;

छ) खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना; और

ज) बचाव प्रतिस्पर्धा आदि आयोजित करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड (खान) देना।

समिति नोट करती है कि डीजीएमएस कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों का निरीक्षण यह जानने के लिए करते हैं कि क्या खानों का प्रचालन खान अधिनियम 1952 खान नियमावली, 1955 तथा कोयला खान विनियमन 2017 और उप-नियम एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए आदेशों के अनुरूप किया जा रहा है। इस संबंध में समिति यह भी नोट करती है कि खान सुरक्षा से संबंधित सभी कानून देश में सभी कोयला खानों पर उनके स्वामित्व की प्रकृति पर विचार किये बिना समान रूप से लागू होते हैं और डीजीएमएस को पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में निजी कोयला कंपनियों के संबंध में विभिन्न नियमों और विनियमों को लागू करने की शक्तियां और जिम्मेदारियां प्राप्त हैं।

यद्यपि कोयला खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित प्रावधान खान अधिनियम, 1952 और खान नियामवली, 1955 कोयला खान विनियम (सीएमआर), 2017 और नामित प्राधिकारी एवं निजी आवंटियों के सफ़ल बोलीकर्ता के बीच हस्ताक्षरित कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते में विहित हैं। तथापि, समिति कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 एवं कोयला (विशेष उपबंध) नियम, 2014 के स्पष्ट प्रावधान, खंड या धारा के कारणों के अस्तित्व न होने के बारे में आश्वस्त नहीं है। समिति ने कोयला खानों की सदैव बदलती स्थिति और इनकी भौगोलिक स्थितियों पर विचार करते हुए यह समझा है कि कोयला खान से संबंधित कोई भी कानून कठोर या नियम नहीं होना चाहिए। बल्कि इन संहिताओं की प्रभावकारिता और उनके समग्र वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किये बिना विभिन्न कारकों और/या अप्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पर्याप्त लचीला बनाया जाए। तथापि, समिति के सुविचारित मत में कोयला खानों में नियोजित व्यक्ति की सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित पहलुओं को माध्यमिक स्थिति में नहीं रखा जा सकता और इस प्रकार इन पहलुओं का

समाधान समुचित विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। अतः समिति चाहती है कि व्यवहारिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली अतिशीघ्र स्थापित की जाए जिससे सभी खामियां दूर हो जाए। अतः समिति सिफारिश करती है कि कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 तथा कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 में तदनुसार संशोधन किया जाए ताकि इसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपबंधों को शामिल किया जा सके। समिति इस संबंध में की गई आवश्यक कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खान सुरक्षा से संबंधित सभी कानून देश में सभी कोयला खानों पर समान रूप से लागू है चाहे उनके स्वामित्व की प्रकृति कुछ भी हो और डीजीएमएस के पास निजी कोयला कंपनियों के संबंध में विभिन्न नियमों और विनियमों के प्रवर्तन हेतु शक्तियां और दायित्व हैं, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि निजी कोयला कंपनियों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में खान सुरक्षा संबंधी कानूनों को लागू करने मे कोई विसंगति न हो तथा यदि कार्यों के स्तर पर उनका कोई उल्लंघन किया जाता है तो जिम्मेदारी तय की जाए और कानून के अनुरूप जिम्मेदार अधिकारी (यों) या स्वामी (यों) के विरुद्ध समान रूप से समुचित कार्रवाई शुरु की जाए।

समिति को यह भी बताया गया है कि खानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीजीएमएस एक नोडल एजेंसी है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तथापि, कोयला खानों को खनन क्षेत्र के प्रमुख घटकों में से एक होने के नाते कोयला मंत्रालय को सभी सुरक्षा उपायों को लागू करने और अभीष्ट साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोयला खान सुरक्षा संबंधी मुद्दों हेतु डीजीएमएस के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यद्यपि, डीजीएमएस को खानों में सुरक्षा के लिए विभिन्न रूपों जैसे खान सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, बचाव प्रतियोगिताओं

का आयोजन करना, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) आदि प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तथापि, समिति आशा करती है कि कोयला मंत्रालय डीजीएमएस के समन्वय से खान सुरक्षा पर सीआईएल और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की सहायक कंपनियों के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन की पहल करे। समिति इस संबंध में उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों/प्रस्तावित कदमों से अवगत होना चाहेगी।"

7. कोयला मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"अभी तक, कोयला खानों सहित सभी खानों में सुरक्षा का प्रावधान, श्रम मंत्रालय, जो अपने खान सुरक्षा महानिदेशालय के माध्यम से कानूनों को प्रशासित करता है, के सांविधक और प्रशासनिक क्षेत्र में आती है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी प्रावधान में शामिल करने के लिए सीएमएसपी अधिनियम, 2015 और सीएमपीएस नियम, 2014 में संशोधन का प्रस्ताव इस मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। उपर्युक्त कार्य श्रम मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके किया जाएगा।

सभी (सार्वजनिक और निजी) खानों में किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर खान सुरक्षा से संबंधित सभी कानूनों का अनुपालन किया जाता है, उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाती है और सभी कोयला कंपनियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है कि निजी कोयला कंपनियों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में खान सुरक्षा कानूनों को लागू करने में कोई विसंगति नहीं हो और यदि उनके प्रचालन के किसी भी चरण में कोई उल्लंघन देखा जाता है, तो उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकता है और

उत्तरदायी अधिकारियों या मालिकों के विरूद्ध एक समान तरीके से कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

प्रत्येक वर्ष डीजीएमएस खान सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर कई कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि का आयोजन करता है, जिसमें सीआईएल और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायक कंपनियों के कर्मचारियों ने भाग लिया है। उपरोक्त के अलावा, सीआईएल और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायक कंपनियों द्वारा डीजीएमएस के समन्वय से खान सुरक्षा पर कई कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, सिफारिश के अनुसार, कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता स्तर को बढ़ाने के लिए डीजीएमएस के समन्वय से खान सुरक्षा पर सहायक मुख्यालय स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर और अधिक कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित किए जाएंगे। कोयला मंत्रालय ने सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और सुरक्षित प्रथाओं में समग्र सुधार को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।"

8. प्रतिवेदन के पैरा 30 में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"<u>खान दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा</u>

समिति इस तथ्य को नोट करती है कि सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा निपटाए जा रहे मुआवजे के कुल मामलों की संख्या 213 है और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (2017 तक संशोधित मूल अधिनियम) के अनुसार दिवंगत खान कर्मचारियों के आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे की कुल राशि 2015-2019 के बीच 1,438.1 लाख रुपये है। इस संदर्भ में, समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि दिवंगत कामगारों (ठेकेदार के कामगार सहित) के आश्रितों को अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान की गई है, जिसे 7.11.2019 से संशोधित कर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। तथापि, समिति ने कोयला

मंत्रालय से इस बात पर बल दिया कि वे संगत नियमों/कानूनों/नीतियों/योजनाओं के अनुसार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों सहित सीआईएल की सहायक कंपनियों और उनकी संयुक्त उद्यम कंपनियों या निजी कोयला कंपनियों में खान दुर्घटनाओं (मौतों) के मामले में मुआवजे के संबंध में सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे। समिति को आशा है कि कोयला कंपनियों द्वारा मुआवजे के सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा रहा है और आश्रितों को मुआवजा भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन का भुगतान किया जा रहा है। समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पिछले एक वर्ष के दौरान आश्रितों को दिए गए कुल मुआवजे से उसे अवगत कराया जाए।"

9. कोयला मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम (ईसीए), 1923 (मूल अधिनियम) की धारा 8 (1) के अनुसार, किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, प्रतिकर का कोई भी संदाय और किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि का कोई भी संदाय आयुक्त के पास निक्षेप करने से अन्यथा नहीं किया जाएगा, और सीधे नियोजक द्वारा कर दिए गए किसी ऐसे संदाय के बारे में यह समझा जायेगा कि वह प्रतिकर का संदाय है।"

"तदनुसार, सीआईएल और इसकी सहायक कम्पनियाँ ईसीए-1923 (मूल अधिनियम) के अनुसार विधिवत रूप से भरे हुए प्रपत्र-क के साथ विधिवत नियुक्त आयुक्त को परिकलित मुआवजे की राशि जमा करती हैं और आयुक्त प्रपत्र-ख में एक पावती जारी करते हैं। तत्पश्चात, आयुक्त उक्त राशि को आवश्यक सत्यापन के बाद मृतक कर्मचारी के आश्रित को मुआवजे का वितरण करता है और मूल अधिनियम के तहत बनाए गए "कर्मचारी प्रतिकर नियम-

1924" के तहत प्रपत्र-ग के अंतर्गत संवितरण का विवरण जारी करता है। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रावधान का किसी भी तरह से उल्लंघन करने पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम (ईसीए)- 1923 (मूल अधिनियम) की धारा- 20 के तहत नियुक्त आयुक्त द्वारा उचित कार्रवाई शुरू की जाती है।

आज तक, ईसीए- 1923 के अनुसार आयुक्त को मुआवजे की राशि जमा करने का माध्यम प्रपत्र-ख के तहत "मुआवजे की पावती" जारी करने की सुविधा के लिए "डिमांड ड्राफ्ट" है। हालांकि, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा ईसीए-1923 (मूल अधिनियम) के संबंध में किए गए किसी भी संशोधन का अनुपालन करेंगी।

कामगार मुआवजा अधिनियम-(ईसीए) - 1923 (मूल अधिनियम) के अनुसार सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान किया गया कुल मुआवजा 3,01,61,016/- रुपये है। इसके अलावा, मृतक श्रमिकों (ठेका कामगार सहित) के आश्रितों को अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाती है, विशेष अनुग्रह राशि को दिनांक 07.11.2019 से 15 लाख रुपये तक संशोधित किया गया है।"

10. प्रतिवेदन के पैरा 31 से 39 में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की स्थिति

समिति नोट करती है कि पूर्व में अवैज्ञानिक खनन के कारण, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोलफील्ड को आग, भूमि धंसाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता है। इसलिए, झरिया कोलफील्ड में आग लगने और जमीन धंसने की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त, 2009 को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड

(ईसीएल) के पट्टाधारी क्षेत्रों में आग लगने, भूमि धसांव और पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए मास्टर प्लान स्वीकृत किया गया था जिसमें झरिया कोलफील्ड्स (झारखंड) के लिए 7,112.11 करोड़ रुपये और रानीगंज कोलफील्ड्स (पश्चिम बंगाल) के लिए 2,661.73 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश किया गया था एवं जिसके लिए रानीगंज कोलफील्ड्स (आरसीएफ) के लिए कार्यान्वयन अवधि 10 वर्ष और झरिया कोलफील्ड्स (जेसीएफ) के लिए 10+2 वर्ष निर्धारित की गई है। समिति नोट करती है कि झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(एक) आग से निपटना;

(दो) बीसीसीएल और ईसीएल कर्मचारियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन;

(तीन) गैर-बीसीसीएल और गैर-ईसीएल (अधिकृत/निजी और अनधिकृत/अतिक्रमणकारी) के लोग और अन्य लोग जो जोखिम भरे क्षेत्रों में रहते हैं; और

(चार) अस्थिर स्थलों से रेलवे/प्रमुख सड़कों/उपयोग के विपथन हेतु सर्वेक्षण और योजना।

समिति ने यह भी नोट किया है कि झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए व्यय के प्रमुख शीर्षों में जनांकिकी सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण लागत, विस्थापित गृह स्वामी की आवासीय भूमि के लिए मुआवजा लागत, आय सृजन लागत, भूमि विकास, बुनियादी प्रसुविधाओं की लागत, आरसीएफ के लिए रेल सड़क का डायवर्जन करने के साथ-साथ जेसीएफ के लिए रेल और सड़क आदि के मार्ग बदलने के लिए सर्वेक्षण और योजना लागत तथा आरसीएफ के लिए आग, आकस्मिकताओं और पर्यवेक्षण आदि से निपटने हेतु लागत शामिल है। समिति ने यह भी नोट किया है कि मास्टर प्लान के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों की समीक्षा के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार, आसनसोल दुर्गापुर विकास

प्राधिकरण (एडीडीए), झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण (जेआरडीए), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), सीआईएल, ईसीएल, बीसीसीएल और कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चाधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति (एचपीसीसी) का गठन किया गया है और अभी तक, एचपीसीसी की इक्कीस बैठकें आयोजित की गई हैं।

जहां तक झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए निधियन व्यवस्था का संबंध है, समिति ने इस तथ्य को नोट किया है कि सीआईएल अपने आंतरिक संसाधनों से प्रतिवर्ष 350 करोड़ रुपये का योगदान करेगी और 10 वर्षों की अवधि में कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्टोविंग उत्पाद शुल्क (एसईडी) के संग्रह से शेष राशि प्रदान की जाएगी। समिति ने यह भी नोट किया कि जेसीएफ और आरसीएफ मास्टर प्लान को मंजूरी देने के बाद सीआईएल द्वारा अपने संयुक्त कार्यान्वयन के लिए अंशदान की जाने वाली 4,200 करोड़ रुपये की राशि में से सीआईएल ने फरवरी, 2020 तक इसमें लगभग 1,961.14 करोड़ रुपये दिए हैं।

समिति ने पाया है कि झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के अंतर्गत कोयला कंपनियां आग से निपटने और बुझाने तथा अपने कर्मचारियों के स्थान परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की राज्य सरकारों को स्थानीय जनसंख्या के पुनर्वास का दायित्व सौंपा गया है।

समिति इस तथ्य की भी पुष्टि करती है कि 1971-73 में राष्ट्रीयकरण की अवधि के दौरान सतही अग्नि क्षेत्र जो 17.32 वर्ग किलोमीटर तक था, को बीसीसीएल ने विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार अब घटाकर 8.9 वर्ग किलोमीटर कर दिया है। 2014 के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी) के अध्ययन के अनुसार, अग्नि क्षेत्र घटकर 2.18 वर्ग किलोमीटर हो गया और एनआरएससी 2018 के अध्ययन के अनुसार मुख्य रूप से उत्खनन के लिए और अधिक भूमिगत अग्निशमन क्षेत्र खोलने के कारण यह फिर बढ़कर 3.28 वर्ग

किलोमीटर हो गया। तथापि, 2020-21 के लिए नया सर्वेक्षण प्रस्तावित है। कोयला मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि कोयला खदानों की आग बुझाने के लिए पूरी दुनिया में डिगिंग आउट फायर एक अंतिम और सिद्ध तरीका है। इसके लिए बीसीसीएल द्वारा चिह्नित 34 स्थानों में से दो स्थलों पर आग बुझाई जा चुकी है, आठ स्थलों पर कार्य जारी है और शेष स्थलों के लिए पहले ही निविदाएं जारी/योजना बनाई जा चुकी हैं, जबकि ईसीएल के अंतर्गत 7.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले सभी सात स्थल जहां आग लगी थी, को पहले ही बुझा दिया गया है।

समिति ने पाया कि झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के तहत बीसीसीएल और सीसीएल जैसी कोयला कंपनियों को जोखिम भरे क्षेत्र से बीसीसीएल/सीसीएल के लोगों/कर्मचारियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी दी गई है। बीसीसीएल ने 7,714 आवासों का निर्माण किया है, जिसमें 4,057 परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया है और शेष 8,138 आवासों को अगस्त, 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि ईसीएल के सभी प्रभावित कर्मचारियों के परिवारों को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है।

समिति ने यह भी पाया कि उक्त योजना के अनुसार पश्चिम बंगाल और झारखंड की राज्य सरकारों को स्थानीय आबादी, जो बीसीसीएल/सीसीएल के लोग/कर्मचारी नहीं हैं और मुख्य रूप से अनधिकृत अतिक्रमण कर रह रहें हैं, के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान सर्वेक्षण और विश्लेषण के अनुसार, झारखंड राज्य में कानूनी रुप से हकदार लोगों (एलटीएच) और गैर-कानूनी हकदार लोगों (एनएलटीएच) सहित लगभग 1,04,964 परिवार कथित रूप से प्रभावित हुए हैं। झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) ने 18,352 आवासों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिनमें से 6,352 पहले ही पूरे हो चुके हैं और अभी तक 3,114 परिवारों को स्थानांतरित किया जा चुका है। झारखंड सरकार अतिक्रमणकारियों की बढ़ी हुई संख्या को

समायोजित करने के लिए मुआवजे में संशोधन करने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए 6,101 एलटीएच और 22,899 गैर-एलटीएच की पहचान की गई है। इसके लिए, आवास विभाग द्वारा 12,976 फ्लैटों के लिए डीपीआर तैयार की गई है और 8,816 निर्माणाधीन हैं। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 43.68 हेक्टेयर भूमि को अभी चिन्हित और अधिग्रहण किया जाना है।

समिति नोट करती है कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों अर्थात ईसीएल और बीसीसीएल के पास पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में कोयला खाने हैं जबकि एक अन्य सहायक कंपनी अर्थात सीसीएल की झारखंड राज्य में खाने हैं। ईसीएल और बीसीसीएल दोनों की राष्ट्रीयकरण से पूर्व की बहुत पुरानी खानों की विरासत है और इसमें आग, जलभराव वाली दीर्घाएं, भूगर्भीय गड़बड़ी, धंसाव, पुरानी विकसित दीर्घाएं आदि जैसी कई समस्याएं हैं।

झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान, जिसे मुख्य रूप से आग, भूमि धंसाव की समस्याओं के समाधान और कोयला खान परियोजना के कारण प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए तैयार किया गया है, के कार्यान्वयन के संबंध में बीसीसीएल और ईसीएल के दृढ़ प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति को विश्वास है कि कोयला मंत्रालय झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के निर्बाध तरीके से कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ एक ठोस समन्वय सुनिश्चित करने हेतु एक अतिरिक्त प्रोत्साहन देगा। तथापि, समिति इस बात को नोट कर असंतुष्ट है कि रानीगंज कोलफील्ड्स (आरसीएफ) के मामले में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समयावधि जो कि 10 वर्ष थी, पहले ही पार हो चुकी है और झरिया कोलफील्ड्स (जेसीएफ) के मामले में, जिसमें यह 10+2 वर्ष थी, की लक्षित समय-सीमा लगभग खत्म होने जा रही है। सीआईएल ने फरवरी, 2020 तक केवल 1,961.14 करोड़ रुपये की राशि दी है, जो कि मास्टर

प्लान के संयुक्त कार्यान्वयन हेतु 4,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित अंशदान का केवल आधा है। समिति का मानना है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन के रास्ते में निधियों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए, समिति कोयला मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन हेतु शेष राशि के योगदान के लिए सीआईएल से पहल करे। इसके अतिरिक्त, समिति कोयला मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह मास्टर प्लान का तेजी से और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोयला खान परियोजना के कारण प्रभावित निजी और अनधिकृत व्यक्तियों के संबंध में पुनर्वास और पुनर्स्थापन मुद्दों के कार्यान्वयन योग्य समाधान तलाशने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को हर संभव सहायता प्रदान करे।

11. कोयला मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"क) झरिया मास्टर प्लान में उठाए गए आवश्यक कदम:

1. आग नियंत्रण

इसलिए, बीसीसीएल ने कोयले के उत्खनन और विनिंग के माध्यम से आग का पता लगाकर और इस प्रकार आग के खतरे को कम करने की विधि अपनाई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के 2014 के अध्ययन के अनुसार अग्नि क्षेत्र 2.18 वर्ग किमी तक घट गया था। एनआरएससी के अध्ययन के अनुसार, यह 2018 में मुख्य रूप से उत्खनन और शमन के लिए और अधिक यूजी अग्नि स्थलों को खोलने के कारण 3.28 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया।

आग से निपटने में हुई प्रगति का सारांश निम्नानुसार है :

वर्ष	1972-73	1996	2014	2018	2020 (अंतरिम रिपोर्ट)

अग्नि क्षेत्र (वर्ग किमी)	17.32	8.9	2.18	3.26	आकलन किए जाने वाले अग्नि क्षेत्र
अग्नि स्थलों की संख्या	77	67	32	34	27

सीएमपीडीआईएल द्वारा मूल्यांकन के अनुसार इन 27 पैचों में से 15 स्थल आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं, जिनमें 13 स्थलों के लिए कार्य प्रदान किया जा चुका है और कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। शेष 2 स्थलों में, कार्य मार्च, 2021 के मध्य तक प्रदान किया जाएगा। सीएमपीडीआई के अनुमान के अनुसार इन स्थलों पर आग बुझाने के कार्य को पूरा करने का समय 2 से 9 वर्ष है।

सीएमपीडीआईएल के आकलन के अनुसार शेष 12 स्थलों पर आग का पता लगाने की प्रक्रिया आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाई गई है। 5 स्थलों में अनुमानों को अंतिम रूप दे दिया गया है और शेष 7 स्थलों के लिए सीएमपीडीआई द्वारा अनुमान तैयार किया जा रहा है। 7 में से 3 स्थलों में डीबी रोड के डायवर्जन और माडा कॉलोनी की शिफ्टिंग के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। बीसीसीएल ने डीबी रोड और माडा कॉलोनी तथा जलाशय की शिफ्टिंग के लिए संभावित अलाइनमेंट सौंप दिया है। 06.10.20 को डीसी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान बीसीसीएल ने डीबी रोड की शिफ्टिंग के लिए संभावित अलाइनमेंट प्रस्तुत किया है।

इन 12 स्थलों को खोजने में अपेक्षित कुल अनुमानित निवेश लगभग 22,050 करोड़ रुपये है और कोयले के बिक्री मूल्य (7050 करोड़ रुपये) को ऑफसेट करने के बाद, लगभग 15,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जिसके लिए फंडिंग के स्रोत पर काम करने की जरूरत है। सीएमपीडीआई के अनुमान के

अनुसार इन स्थलों पर आग बुझाने के कार्य को पूरा करने का समय 6 से 13 वर्ष है।

2. पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास

बीसीसीएल द्वारा बीसीसीएल परिवारों का पुनर्वास किया जा रहा है। बीसीसीएल परिवारों के स्थानांतरण के लिए 15,852 घरों का निर्माण किया गया है। फरवरी 2021 तक, 7,714 घरों का निर्माण बीसीसीएल द्वारा पहले ही किया जा चुका है और 4,185 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं।

बीसीसीएल कर्मचारियों के सेवानिवृत्त (2009 से आज की तारीख तक) होने के कारण, बीसीसीएल कर्मचारियों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए केवल 7,852 घरों की आवश्यकता है और शेष 8000 घरों को दिनांक 07.11.20 को जेआरडीए बोर्ड और दिनांक 07.01.2021 को बीसीसीएल बोर्ड की मंजूरी के बाद जेआरडीए को सौंपा गया है।

बेलगोरिया पुनर्वास टाउनशिप "झरिया विहार" में जेआरडीए द्वारा गैर-बीसीसीएल परिवारों के लिए 18,352 घरों का निर्माण किया गया है। फरवरी 2021 तक, 6,352 घरों का निर्माण् कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, जिसमें 2,537 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। शेष 12,000 घरों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है।

ख) रानीगंज मास्टर प्लान – ईसीएल एवं गैर-ईसीएल परिवारों की पुनर्वास स्थिति:

ऐसे तीन स्थान अर्थात् जोटे जानकी, अमृतनगर, रातीबाती 3,4 एवं 7 पिट्स हैं जहां मास्टर प्लान के अनुसार ईसीएल के घर आग प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। ईसीएल ने पहले ही अपने सभी कर्मचारियों को स्थिर स्थानों पर मौजूदा ईसीएल क्वार्टरों में स्थानांतरित कर दिया था और उन सभी निर्माण को ध्वस्त कर दिया था जो आग प्रभावित धंसाव वाले क्षेत्र के अंदर थे।

स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) को गैर-ईसीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है।

गैर-ईसीएल परिवारों को स्थानांतरित करने के लिए 12, 976फ्लैटों का निर्माण एडीडीए द्वारा 4चिन्हित पुनर्वास स्थलों अर्थात् बिजॉयनगर, दास्कियरी और दक्षिण खण्ड व नामोकेशिया पर किया गया है। वर्तमान में, 3,584 फ्लैटों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है और गैर-ईसीएल परिवारों के स्थानांतरण के लिए पुनर्वास स्थलों पर 6,336 फ्लैट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

ग (मास्टर प्लान के लिए जारी और उपयोग की गई निधि:

मास्टर प्लान की मंजूरी के बाद, दोनों मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए सीआईएल द्वारा जारी कुल निधि 2,160 करोड़ रु. (फरवरी, 2021 तक) है। बीसीसीएल को जारी की गई कुल निधि क्रमश: 1,577.55 करोड़ रु. एवं ईसीएल को 582.69 करोड़ रु. है।

ईसीएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार व्यय 576.48 करोड़ रु. (एडीडीए द्वारा 573.56 करोड़ रु. व ईसीएल द्वारा 2.92 करोड़ रु.) और बीसीसीएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार व्यय 1,558.98 करोड़ रु. (फरवरी, 2021 तक बीसीसीएल द्वारा 810.05 करोड़ रु. और जेआरडीए द्वारा 748.61 करोड़ रु.) है।

घ) जेसीएफ और आरसीएफ के मास्टर प्लान में संशोधन:

रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए 10 वर्ष की समय सीमा पहले ही 11.08.2019 को समाप्त हो चुकी है और अनुमोदित झरिया मास्टर प्लान की वैधता अगस्त, 2021 तक है। 19वीं एचपीसीसी बैठक के निर्देशानुसार, ईसीएल द्वारा सीएमपीडीआई, आरआई-I व एडीडीए के परामर्श से और बीसीसीएल द्वारा सीएमपीडीआई आरआई-II व जेआरडीए के परामर्श से

वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय, और लागत में वृद्धि को शामिल करते हुए व्यापक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है।

दोनों व्यापक प्रस्ताव पर 20वीं एवं 21वीं एचपीसीसी बैठक में चर्चा की गई है। 04.03.2020 को हुई 21वीं एचपीसीसी बैठक के निर्देशानुसार, दोनों प्रस्तावों के संशोधन को क्रमश: जेआरडीए तथा एडीडीए में अंतिम रूप दिया जा रहा है।"

टिप्पणियाँ/सिफारिशें

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कोयला ब्लॉकों का आवंटन

12. समिति 2014 के बाद कोयला ब्लॉक आवंटन में वांछित स्तर की पारदर्शिता लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए और कोयला खान क्षेत्र के संबंध में बोली और नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और इसे प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंच पर ई-नीलामी के रूप में एक नई नीलामी पद्धति शुरू करने के लिए भी सरकार के प्रयासों की सराहना करती है। कोयला मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ई-नीलामी के संबंध में गति को उनके द्वारा निरपवाद रूप से बनाए रखा जाना चाहिए और इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कोयला कंपनियों को भी अपनी सभी वाणिज्यिक गतिविधियों में डिजिटल प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

13. समिति की उपरोक्त सिफारिशों के उत्तर में कोयला मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में अन्य बातों के साथ ही यह प्रस्तुत किया है कि सभी कोयला कंपनियों को अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में इन प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। पारदर्शिता बनाए रखने और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा रहा है। पहले से मौजूद कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:-

• एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) का कार्यान्वयन जिससे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), महानदी कोल फ़ील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और वेस्टर्न कोल फ़ील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) को कवर करते हुए चरण-1 शुरू हो गया है। शेष सहायक कंपनियां इस वर्ष के भीतर ही चरण-II में शुरू हो जाएंगी।

• 7 बड़ी खानों के लिए उद्योग 4.0 पद्धतियों के अनुसार डिजिटलीकरण शुरू किया गया है। इस प्रौद्योगिकी को बाद में अन्य खानों में भी दोहराया जाएगा।

• उचित निर्णय लेने और उपभोक्ता संतुष्टि के लिए प्रबंधन हेतु कई पोर्टलों का निर्माण किया गया। उत्पादन सूचना प्रणाली, सुरक्षा सूचना प्रणाली, सीआईएल-सीएसआर, मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली(एचआरएमएस), कोयला उपभोक्ता समाधान पोर्टल, गुणवत्ता निगरानी पोर्टल के लिए वेब ऐप्लिकेशन कुछ प्रमुख ऐप्लिकेशनों में से हैं।

• "डिजिटल ग्रीन इंडिया" के एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में, एनआईसी के ई-ऑफिस समाधान को सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में कागज रहित कार्यालय के संवर्धन हेतु कार्यान्वित किया गया है।

• परियोजना "डीएमएस" के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय में 80 लाख से अधिक दस्तावेजों को डिजिटलीकृत किया है।

• कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों में वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं का प्रापण ई-प्रापण माध्यम से किया जा रहा है। वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं में निविदा प्रक्रियाओं के दौरान अधिक पारदर्शिता और बेहतर लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया में रिवर्स नीलामी के प्रावधान के साथ ई-निविदा माध्यम से निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाता है।

• कोयले की ई-नीलामी सीआईएल के सेवा प्रदाताओं के माध्यम से की जाती है।

• कोल इंडिया में कार्यकारियों के कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन, सतर्कता सूचना और वार्षिक संपत्ति विवरण को वेब सक्षम प्रणालियों के माध्यम से तैयार किया जाता है।

14. समिति यह नोट कर संतुष्ट है कि कोयला कंपनियां पारदर्शिता बनाए रखने और मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल कर रही हैं और अपना रही हैं । समिति की सुविचारित राय है कि पारदर्शिता बढ़ाने के अलावा कोयला खदानों में शामिल वाणिज्यिक और अन्य गतिविधियों जैसे कोयला ब्लॉकों की नीलामी, आवंटन और निर्धारण, मानव संसाधनों का प्रबंधन और प्रशासन, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से न केवल लागत में कमी आएगी बल्कि बाजार और खरीद प्रक्रिया दक्षता के साथ-साथ कारोबारी उत्पादकता में भी सुधार होगा। इसलिए समिति इस बात को दोहराना और फिर से जोर देना चाहेगी कि कोयला मंत्रालय को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार ई-नीलामी प्रणाली को बनाए रखने के लिए अपने प्रयास को गति देने के लिए और सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों को अपनी वाणिज्यिक और अन्य सभी गतिविधियों में डिजिटल प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी समेकित प्रयास करने चाहिए । समिति इस संबंध में की गई आवश्यक कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

15. कोयला मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समिति को यह जानकर भी खुशी है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) का कार्यान्वयन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), महानदी कोल फ़ील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और वेस्टर्न कोल फ़ील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) को कवर करते

हुए चरण-1 शुरू हो गया है। बाकी सहायक कंपनियां चरण-II में इस वर्ष के भीतर शुरू हो जाएंगी। समिति को आशा है और विश्वास है कि कोयला मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) का चरण-वार कार्यान्वयन यथाशीघ्र पूरा हो। समिति इस संबंध में अद्यतन स्थिति और की गई आवश्यक कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

16. समिति आगे यह नोट कर प्रसन्न है कि 7 बड़ी खानों के लिए उद्योग 4.0 पद्धतियों के अनुसार डिजिटलीकरण शुरू किया गया है। इस प्रौद्योगिकी को बाद में अन्य खानों में भी दोहराया जाएगा।इस संबंध में समिति को आशा है कि कोयला मंत्रालय शेष सभी कोयला खानों में उद्योग 4.0 पद्धतियों के अनुसार डिजिटलीकरण प्रक्रिया का सक्रिय कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा ताकि उन्हें न केवल कुशल बल्कि देश में कोयला उद्योग के सतत विकास की तुलना में वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। समिति इस संबंध में अद्यतन स्थिति और की गई आवश्यक कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

<u>कोयला खानों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपबंध-</u>

17. समिति ने कोयला मंत्रालय द्वारा की गई प्रस्तुति के आलोक में अभ्यावेदन की जांच करते हुए नोट किया था कि कोयला खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित उपबंध और खंड खान अधिनियम, 1952, खान नियमावली, 1955, कोयला खान विनियम (सीएमआर), 2017 और नामित प्राधिकरण और निजी आवंटियों के सफल

बोलीदाता के मध्य हस्ताक्षरित कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते में निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद समिति कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 में इस तरह के स्पष्ट उपबंध, खंड या धारा के अस्तित्व में न होने से चकित थी। कोयला खान और उस पर भौगोलिक विचारों में लगातार बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस बात की वकालत करते हुए कहा कि कोयला खानों से संबंधित कोई भी कानून कठोर या नियत नहीं होना चाहिए अपितु प्रभावकारिता और उनकी समग्र वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बिना विभिन्न चर कारकों और/या अप्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे काफी लचीला बनाया जाना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया था कि कोयला खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित पहलुओं को द्वितीयक स्थिति में नहीं चलाया जा सकता है और इसलिए इन पहलुओं पर उचित विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि एक व्यावहारिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पूरी ईमानदारी से लागू की जानी चाहिए , जिससे सभी खामियों को दूर किया जा सके, जिसके लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपबंधों को उचित रूप से शामिल किया जा सके।

18. समिति ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि खान सुरक्षा से संबंधित सभी कानून देश की सभी कोयला खानों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका स्वामित्व किसी भी प्रकार का हो और डीजीएमएस के पास निजी कोयला कंपनियों के संबंध में विभिन्न नियमों और विनियमों को लागू करने का

प्राधिकार और उत्तरदायित्व है, ने कोयला मंत्रालय से आग्रह किया था कि यह सुनिश्चित किया जाये कि निजी कोयला कंपनियों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खान सुरक्षा कानूनों के अनुप्रयोग में कोई विसंगति न हो। और यदि इनके प्रचालनों के किसी भी स्तर पर कोई उल्लंघन देखा जाता है, तो दायित्व तय किया जाना चाहिए और संगत ढंग में उत्तरदायी अधिकारी(रियों) या (मालिकों) के विरुद्ध विधि के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

19. समिति ने यह भी नोट किया था कि खान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी डीजीएमएस (श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन) है जिसे खानों में सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने, बचाव संबंधी प्रतिस्पद्धाएं कराने, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रदान करने आदि जैसे विभिन्न रूपों में खान सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में समिति ने इस बात का विशेष उल्लेख करते हुए कि खनन क्षेत्र में कोयला खानों के प्रमुख संघटक होने के कारण यह सलाह दी थी कि कोयला मंत्रालय को सभी सुरक्षोपायों को कार्यान्वित करने और लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोयला खानों की सुरक्षा के लिए डीजीएमसए के साथ समुचित समन्वय सुनिश्ति करने हेतु सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उक्त प्रयोजनार्थ, समिति को आशा थी कि कोयला मंत्रालय डीजीएमएस के साथ समन्वय करने सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों और अन्य सरकारी उपक्रमों के मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से खान सुरक्षा के संबंध में संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आदि आयोजित करेगा।

20. इसके अनुपालन में कोयला मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तरों में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया है कि यद्यपि कोयला खानों

सहित सभी खानों में सुरक्षा संबंधी मुद्दे श्रम मंत्रालय के सांविधकि और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो कि अपने खान सुरक्षा महानिदेशालय के माध्यम से कानून का संचालन करता है, तो सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपबंधों को सम्मिलित करने हेतु सीएमएसपी एक्ट, 2015 और सीएमपीएस रूल्स 2016 में संशोधन के लिए प्रस्ताव पर कोयला मंत्रालय द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है और उक्त कार्रवाई श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने समिति को यह भी आश्वासन दिया है कि सभी खानों (सरकारी और निजी) में खानों की सुरक्षा से संबंधित सारे कानूनों का पालन किया जा रहा है और यदि किसी उल्लंघन की स्थिति में यथोचित कार्रवाई की जा रही है। कोयला मंत्रालय ने आगे यह आश्वासन किया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन डीजीएमएस को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व दिया गया है कि निजी कोयला कंपनियों की तुलना में सरकारी उपक्रमों के मामले में खान सुरक्षा संबंधी कानूनों के लागू होने में किसी असंगतता की स्थिति में यदि उनके प्रचालनों में किसी चरण में कोई उल्लंघन देखा जाता है तो जिम्मेदारी और यथोचित कार्रवाई निधारित की जा सकती है। कोयला मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन डीजीएमएस को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि सरकारी उपक्रमों बनाम निजी कोयला कंपनियों के मामले में खान सुरक्षा संबंधी संविधियों के अनुप्रयोग में कोई असंगति नहीं हो। उनके प्रचालनों में किसी चरण में कोई उल्लंघन देखे जाने की स्थिति में जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है और उत्तरदायी अधिकारी/ अधिकारियों अथवा स्वामी/स्वामियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सुसंगत तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। कोयला मंत्रालय ने अपने की कार्रवाई संबंधी उत्तरों में सूचित किया है कि डीजीएमएस

सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में कार्यशालाएं संगोष्ठियां आदि आयोजित करता है जिनमें सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों और अन्य सरकारी उपक्रमों द्वारा डीजीएमएस के साथ समन्वय करके खान सुरक्षा से संबंधित अनेक कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं। इसी क्रम में कोयला मंत्रालय ने भी आश्वासन दिया है कि याचिका समिति की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों के बीच खान सुरक्षा के संबंध में अनुषंगी मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए डीजीएमएस के साथ समन्वय करके और अधिक कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय स्तर को सर्वोत्तम पद्धतियां और सुरक्षा संबंधी पद्धतियों में समग्र सुधार के लिए सुरक्षा संबंधी विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

21. इस तथ्य के बावजूद कि कोयला खानों सहित सभी खानों में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और रोजगार मंत्रालय के सांविधिक और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के माध्यम से कानून का संचालन करता है समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि संरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए सीएमएसपी एक्ट 2015 और सीएमपीएस रूल्स 2016 में संशोधन हेतु प्रस्ताव पर कोयला मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक विचार किया जा रहा है तथा इस संबंध में समिति कोयला मंत्रालय पर जोर देना चाहती है कि वह श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से संरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपबंधों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियमों/नियमों में संभावित संशोधन/संशोधनों को और विलंब किए बिना अंतिम रूप दे। समिति को भरोसा

है कि प्रासंगिक संशोधन विधेयक को संसद में पूरी निष्ठा के साथ पुरःस्थापित किया जाएगा

22. समिति कोयला मंत्रालय द्वारा पुनः दिए गए आश्वासन से संतुष्ट है कि निजी कोयला कंपनियों की तुलना में सरकारी उपक्रमों में खान सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रयोग में कोई असंगतता नहीं होगी। तथापि, समिति कोयला मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह यह सुनिश्चित करने हेतु कोयला खान प्रचालनों का निरीक्षण करे तथा डीजीएमएस/श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ संबंधों करे कि सभी प्रकार की खानों (सरकारी और निजी) में खान सुरक्षा से संबंधित सभी कानूनों का पालन किया जा रहा है।

कोयला खदान दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजे का शीघ्र भुगतान

23. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा निपटाए जा रहे मुआवजे के कुल मामलों की संख्या 213 थी और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (मूल अधिनियम 2017 तक संशोधित) के अनुसार 2015-2019 के बीच मृतक खदान कर्मचारियों के आश्रित(तों) को दिए गए मुआवजे की कुल राशि 1,438.1 लाख रुपये थी, समिति ने मृतक कामगार(रों) (संविदा कर्मकार सहित) के आश्रित(तों) को 07.11.2019 से अतिरिक्त अनुग्रह राशि के रूप में 15 लाख रुपये की संशोधित अनुदान राशि पर संतोष व्यक्त किया था। तथापि, समिति ने कोयला मंत्रालय से इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि वह संबंधित नियमों/कानूनों/नीतियों/योजनाओं के अनुसार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सीआईएल की सहायक कंपनियों और उनकी संयुक्त

उद्यम कंपनियों या निजी कोयला कंपनियों द्वारा खदान दुर्घटनाओं (मौतों) के मामले में मुआवजे के संबंध में सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे। समिति ने आगे मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि कोयला कंपनियों द्वारा मुआवजे के सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और मौद्रिक रूप से मुआवजा भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आश्रित(तों) को दिया जाए तथा पिछले एक वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आश्रितों को दी जाने वाली कुल मुआवजा राशि का ब्यौरा भी मांगा था।

24. कोयला मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम (ईसीए), 1923 (मूल अधिनियम) की धारा 8 (1) के अनुसार, किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, प्रतिकर का कोई भी संदाय और किसी स्त्री को या विधिक निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि का कोई भी संदाय आयुक्त के पास निक्षेप करने से अन्यथा नहीं किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आगे समिति के समक्ष बताया है कि सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियां ईसीए, 1923 (मूल अधिनियम) के अनुसार विधिवत रूप से नियुक्त आयुक्त को गणना की गई मुआवजा राशि और विधिवत भरे गए प्रपत्र क जमा करते हैं और इसके बाद आयुक्त फॉर्म-बी में रसीद जारी करते हैं। तत्पश्चात, आयुक्त आवश्यक सत्यापन के बाद मृतक कर्मचारी के आश्रित को मुआवजा वितरित करते हैं और मूल अधिनियम के तहत बनाए गए कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924 में निर्धारित प्रपत्र-सी में तहत संवितरण का विवरण

जारी करते हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि ईसीए, 1923 (मूल अधिनियम) की धारा 20 के तहत नियुक्त आयुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन उचित कार्रवाई शुरू की जाती है। इस संबंध में कोयला मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि आज की स्थिति के अनुसार ईसीए, 1923 के अनुसार आयुक्त के पास मुआवजा राशि जमा करने का तरीका प्रपत्र-बी के अधीन 'मुआवजे की रसीद' जारी करने की सुविधा के लिए डिमांड ड्राफ्ट है। तथापि, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियां भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा ईसीए, 1923 (मूल अधिनियम) के संबंध में किए गए संशोधन का अनुपालन करेंगे। कोयला मंत्रालय ने आगे बताया है कि सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा ईसीए, 1923 (मूल अधिनियम) के अनुसार भुगतान की गई कुल मुआवजा राशि 3,01,61,016/- रुपये है।

25. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे के आलोक में, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि कोयला मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि कोयला खदान दुर्घटनाओं का मुआवजा बिना किसी प्रशासनिक विलम्ब के आश्रितों को जारी किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुआवजे के सभी लंबित मामलों का निपटारा कोयला कंपनियों द्वारा अतिशीघ्र किया जाए। इस संदर्भ में, समिति ने कोयला मंत्रालय से बल देकर कहा कि वह केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आश्रितों को मुआवजा भुगतान की संभावना तलाशे। समिति इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा की गई आवश्यक कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

26. झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान जिसे आग, भूस्खलन की समस्या को दूर करने और कोयला खदान परियोजना(ओं) के कारण प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए तैयार किया गया था, को लागू करने के संबंध में बीसीसीएल और ईसीएल के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति ने कोयला मंत्रालय से आग्रह किया था कि वह पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय तंत्र सुनिश्चित करे ताकि झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। तथापि, समिति यह नोट कर असंतुष्ट थी कि मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समयावधि जो, रानीगंज कोलफील्ड्स (आरसीएफ) के मामले में पहले ही पार हो चुकी थी और झरिया कोलफील्ड्स (जेसीएफ) के मामले में 10 साल थी यह 10+2 वर्ष थी, वह अपने लक्षित समय-सीमा को पूरा कर चुकी थी, सीआईएल ने फरवरी, 2020 तक केवल 1,961.14 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया था जो कि मास्टर प्लान के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए 4,200 करोड़ रुपये के योगदान का केवल आधा है। इस बात की ओर इशारा करते हुए कि इतनी महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन के मार्ग में धन की कमी नहीं होनी चाहिए, समिति ने कोयला मंत्रालय से सिफारिश की थी कि वह सीआईएल को झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन हेतु शेष राशि का योगदान देने के लिए मनाए। समिति ने मंत्रालय से यह भी सिफारिश की थी कि मास्टर प्लान का

तेजी से और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वह कोयला खदान परियोजना के कारण प्रभावित निजी और अनधिकृत व्यक्तियों के संबंध में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मुद्दों के लिए कार्यान्वयन योग्य समाधान तलाशने के लिए संबंधित राज्य सरकार(रों) को हर संभव सहायता प्रदान करे।

27. कोयला मंत्रालय द्वारा अपने की गई कार्रवाई उत्तर में दी गई जानकारी के आधार पर, समिति ने पाया कि झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई/पहल की शुरुआत की गई है: -

(क) झरिया मास्टर प्लान:

() आग पर नियंत्रण - बीसीसीएल ने खुदाई करके आग को बुझाने और कोयला प्राप्त करने तथा साथ ही आग के खतरे को कम करने के लिए तरीका अपनाया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2014 में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के अध्ययन के अनुसार अग्नि क्षेत्र घटकर 2.18 वर्ग किलोमीटर हो गया। हालांकि, यह 2018 में बढ़कर 3.28 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जिसका मुख्य कारण खुदाई और शमन के लिए अधिक यूजी फायर क्षेत्र खोलना है। वर्ष 2020 की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, चिन्हित अग्नि स्थलों की कुल संख्या 27 है। हालांकि, अभी कुल अग्नि क्षेत्र का आकलन किया जाना शेष है। जैसा कि केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा मूल्यांकन किया गया है, इन 27 पैचों में से 15 स्थल आर्थिक रूप से

व्यवहार्य है, जिसमें अग्नि नियंत्रण कार्यों को सौंपा गया है और उनका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। सीएमपीडीआईएल के अनुमानानुसार इन स्थलों पर डिगिंग आउट फायर का समय 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक का है। सीएमपीडीआईएल द्वारा शेष 12 स्थलों पर डिगिंग आउट द फायर की प्रक्रिया का अनुमान लगाना आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाया गया है। हालांकि, 5 साइटों में अनुमानों को अंतिम रूप दिया गया है और शेष 7 स्थलों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। 7 स्थलों में से 3 में डीबी रोड के डायवर्जन और एमएडीए कॉलोनी की शिफ्टिंग के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। बीसीसीएल ने 06.10.2020 को डीसी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान डीबी रोड और एमएडीए कॉलोनी और जलाशय की शिफ्टिंग के लिए अंतरिम रूपरेखा प्रस्तुत की है। इन 12 स्थलों को खोदने में कुल अनुमानित निवेश लगभग 22,050 करोड़ रुपये है और कोयले की बिक्री मूल्य अर्थात 7,050 करोड़ रुपये की भरपाई के बाद लगभग 15,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसके लिए वित्तपोषण के स्रोत पर कार्य करने की आवश्यकता होगी। सीएमपीडीआईएल के अनुमान के अनुसार इन स्थलों पर डिगिंग आउट फ़ायर को पूरा करने में 6 से 13 वर्ष तक का समय लगता है।

() बीसीसीएल और गैर-बीसीसीएल परिवारों के पुनर्वास की स्थिति - बीसीसीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए बीसीसीएल द्वारा 15,852 घरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। फरवरी 2021 तक बीसीसीएल द्वारा 7,714 घर पहले ही बनाए जा चुके हैं और 4,185 परिवारों को स्थानांतरित किया जा चुका है। इसके अलावा, झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) द्वारा बेलगोरिया पुनर्वास टाउनशिप 'झरिया विहार' में गैर-बीसीसीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए 18,352 घरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। फरवरी 2021 तक, 6,352 घर पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिनमें 2,537 परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया है और शेष 12,000 घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है।

(ख) रानीगंज मास्टर प्लान:

ईसीएल और गैर-ईसीएल परिवारों के पुनर्वास की स्थिति - मास्टर प्लान के अनुसार, तीन स्थान नामतः जोटे जानकी, अमृतनगर और रतिबती 3, 4 और 7 पिट्स, जहां ईसीएल के घर आग प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ईसीएल ने पहले ही अपने सभी कर्मचारियों को स्थिर स्थानों पर मौजूदा ईसीएल क्वार्टरों में स्थानांतरित कर दिया है और उन सभी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है, जो आग प्रभावित धसांव क्षेत्र के भीतर थे। इसके अलावा गैर-ईसीएल परिवारों को स्थानांतरित करने

के लिए चार चिन्हित पुनर्वास स्थलों यानी विजयनगर, दसकीरी, दक्षिणखंड और नामोकेशिया में 12,976 फ्लैटों का निर्माण आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) द्वारा शुरू किया गया है जो गैर-ईसीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी है। वर्तमान में, 3,584 फ्लैटों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है और गैर-ईसीएल परिवारों के स्थानांतरण के लिए पुनर्वास स्थलों पर 6,336 फ्लैट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) मास्टर प्लान के अंतर्गत जारी निधि और उपयोग:–

मास्टर प्लान के अनुमोदन पश्चात, सीआईएल द्वारा दोनों मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए 2,160 करोड़ रुपये (फरवरी 2021 तक) की कुल निधि जारी की गई है, जिसमें से बीसीसीएल और ईसीएल को जारी कुल निधि क्रमश: 1,577.55 करोड़ रुपये और 582.69 करोड़ रुपये है। ईसीएल द्वारा अधिसूचित व्यय 576.48 करोड़ रुपये (एडीडीए द्वारा 573.56 करोड़ रुपये और ईसीएल द्वारा 2.92 करोड़ रुपये) और बीसीसीएल द्वारा अधिसूचित व्यय 1,558.98 करोड़ रुपये (फरवरी 2021 तक बीसीसीएल द्वारा 810.05 करोड़ रुपये और जेआरडीए द्वारा 748.61 करोड़ रुपये) है।

(घ) जेसीएफ और आरसीएफ के मास्टर प्लान में संशोधन:–

रानीगंज मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए 10 साल की समय सीमा 11.08.2019 को पहले ही समाप्त हो चुकी है और अनुमोदित झरिया मास्टर प्लान की वैधता अगस्त, 2021 तक है। 19वीं एचपीसीसी बैठक के निर्देशानुसार, ईसीएल द्वारा सीएमपीडीआईएल, आर- और एडीडीए तथा बीसीसीएल द्वारा सीएमपीडीआईएल, आर- और जेआरडीए के परामर्श से वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय और लागत में वृद्धि को शामिल करते हुए व्यापक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है। दोनों व्यापक प्रस्तावों पर 20 और 21वीं एचपीसीसी बैठकों में चर्चा की गई है और 04.03.2020 को हुई 21वीं एचपीसीसी बैठक के निर्देश के अनुसार दोनों प्रस्तावों में संशोधन को क्रमशः जेआरडीए और एडीडीए में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

28. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों मास्टर प्लान अर्थात झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति और संशोधन पर कोयला मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति (एचपीसीसी) की बैठकों में नियमित रूप से चर्चा की जा रही है, समिति आशा करती है कि कोयला मंत्रालय ने 04.03.2020 को आयोजित 21वीं एचपीसीसी बैठक के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल और झारखंड की राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके जेआरडीए और एडीडीए के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया होगा। समिति कोयला मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि वह बीसीसीएल/ईसीएल परिवारों और कोयला खान

परियोजनाओं के कारण प्रभावित निजी और अनधिकृत व्यक्तियों के संबंध में अग्नि नियंत्रण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन मुद्दों के लिए कार्यान्वयन योग्य समाधान तलाशने हेतु संबंधित राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करे ताकि दोनों मास्टर प्लान को पूरा करने के बीसीसीएल और ईसीएल के इस उद्देश्य के लिए सीआईएल द्वारा जारी धनराशि का अधिकतम उपयोग कर संशोधित लक्ष्यों/समय-सीमा के साथ जेसीएफ और आरसीएफ मास्टर प्लान का तेजी से प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। समिति झरिया और रानीगंज मास्टर प्लानों के क्रियान्वयन के संबंध में कोयला मंत्रालय से इसकी अद्यतन स्थिति के साथ-साथ की गई आवश्यक कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

नई दिल्ली;
22 दिसंबर, 2021
1 पौष, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

THE WORKMEN'S COMPENSATION RULES, 1924[1]

In exercise of the powers conferred by section 32 of the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), the Governor-General in Council is pleased to make the following rules:—

FORM A

[*See* rule 6 (1)]

DEPOSIT OF COMPENSATION FOR FATAL ACCIDENT

[Section 8 (1) of the Workmen's Compensation Act, 1923]

Compensation amounting to Rs. ..... is hereby presented for deposit in respect of njuries resulting in the death of the workman, whose particulars are given below, which ccurred on .....

Name .....

Father's Name .....

(Husband's name in case of married woman and widow.)

Caste.....

Local address .....

Permanent address .....

His/Her monthly wages are estimated at Rs..... He/ She was over / under the ge of 15 years at the time of his/her death.

2. The said workman had, prior to the date of his/her death, received the following ayments, namely:—

Rs. ..... on ..... Rs. ..... on .....

Rs. ..... on ..... Rs. ..... on .....

Rs. ..... on ..... Rs. ..... on .....

amounting in all to Rs.....

3. An advance of Rs ..... has been made on account of compensation to ..... being his/her dependant.

4. *I do not desire to be made a party to the proceedings for distribution of the foresaid compensation.

Dated .....

.....

Employer.

*An employer desiring to be made a party to the proceedings should strike out the vords "do not".

FORM B

(*See* rule 6)

RECEIPT FOR COMPENSATION

[Deposited under section 8 (1) of the Workmen's Compensation Act, 1923]

Book No. ..... Receipt No.....

Register No. .....

Depositor ..... Deceased or injured workman .....

Date of deposit .....

Sum deposited Rs .....

.....

Commissioner.

FORM C

(*See* rule 6)

STATEMENT OF DISBURSEMENTS

[Section 8 (4) of the Workmen's Compensation Act, 1923]

Serial No. .....

Depositor .....

Date .....20.....

Amount deposited.....

Amount deducted and repaid to the employer under the proviso to section 8 (1) .....

Funeral expenses paid .....

Compensation paid to the following dependants :

Name	Relationship
.....	.....
.....	.....

Total —

Dated .....

.....

Commissioner.

PART II
DEPOSITS OF COMPENSATION

6. *Deposits under Section 8(1).* – (1) An employer depositing compensation with the Commissioner under sub-section (1) of Section 8, in respect of a workman whose injury has resulted in death shall furnish therewith a statement in Form A, and shall be given a receipt in Form B. In other cases of deposits with the Commissioner under sub-section (1) of Section 8, the employer shall furnish a statement in Form AA, and shall be given a receipt in Form B.

(2) If, when depositing compensation in respect of fatal accidents, the employer indicates in the statement refereed to in sub-section (1) that he desires to be made a party to the distribution proceedings, the Commissioner shall, before allotting the sum deposited as compensation, afford to the employer and opportunity of establishing that the person to whom he proposes to a lot such sum is not a dependent of the deceased workman or, as the case may be that no one of such person is a dependent.

(3) The statement of disbursements to be furnished on application by the employer under sub-section (4) of Section 8 shall be in Form C.